डिगरी व मुकदमे इब्तदाई

(ओ. 20 ए. 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil procedure Code Appendix 'D'-1)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी** मुकाम **बाडी जिला धौलपुर (राज0)**
व इजलास **श्री जी0एल0 मीना (R.A.S.)**

1. लखनबाई उम्र 50 साल पत्नी मंगलसिंह जाति मीना निवासी ग्राम उमरेह तह0 बाडी

बनाम

1. रामभगवती पत्नी नरसिंह
2. पूरन
3. कैलाशी
4. हरीसिंह } पुत्रगण नरसिंह
5. पत्तबाई पत्नी रामजी
6. देवीचरन
7. बबलू
8. लोकेन्द्र } पुत्रगण रामजी
9. मंगलसिंह पुत्र कलाकंद

} जातिगण मीना निवासीगण ग्राम उमरेह तह0 बाडी

मुकदमा नं. **101/2016** दावा दावत

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई स्वंय
व हाजरी **श्री अशोक शर्मा, रामवकील गुर्जर एड0** मिनजानिब मुद्दई श्री
मिनजानिब मुख्यलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है

दावा वादीया डिकी किया जाकर विवादित आराजी ख0नं0 1372/0–19, 1373/0–03, 1408, 1409/1–08 बांके ग्राम उमरेह तह0 बाडी जिला धौलपुर में वादीया को कलाकन्द के स्थान पर 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। राजस्व रिकार्ड में कलाकन्द के स्थान पर वादीया के नाम का अंकन किया जावे। प्रति0 को स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता कि वे वादीया के कब्जे काश्त की आराजी में दखलन्दाजी न करें।

नीज ________ मुबलिग________ बाबत ________खर्चा इस मुकद्दमे के मय सूद व शहर ________ फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयादी तक ________________ को अदा करें।

वसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **08** माह **02** साल **2017** को जारी की गई।

दस्तखत ________
ओहदा उपखण्ड अधिकारी बाडी
उपखण्ड अधिकारी
बाडी (धौलपुर) राज

मुहर

मुद्दई	रुपया	न.पै.	मुद्दायला	रुपया	न.पै.
स्टाम्प मरजीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अरजी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील) रू0		
महनतनामा वकील) रू0			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बालत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

नोट इस फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का वहे डिग्री के जरिये दिखाया गया हो या/नही खर्च करना चाहिये।

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडी जिला – धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री जी0एल0 मीना (आर0ए0एस0)

उनवान

लखनबाई बनाम रामभगवती

1. लखनबाई उम्र 50 साल पत्नी मंगलसिंह जाति मीना निवासी ग्राम उमरेह तह0 बाडी

वादीया :–

बनाम

1. रामभगवती पत्नी नरसिंह
2. पूरन, 3. कैलाशी, 4. हरीसिंह – पुत्रगण नरसिंह
5. पत्तबाई पत्नी रामजी
6. देवीचरन, 7. बबलू, 8. लोकेन्द्र – पुत्रगण रामजी
9. मंगलसिंह पुत्र कलाकंद

जातिगण मीना निवासीगण ग्राम उमरेह तह0 बाडी

प्रतिवादीगण :–

उपस्थित वादीया के वकील – श्री अशोक शर्मा, रामवकील गुर्जर एड0

दावा सं. 101/2016

दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 रा0का0 अधि0

दिनांक :– 08.02.2017

निर्णय

वादीया द्वारा उक्त उनवान का दावा इस प्रकार प्रस्तुत किया कि :–

विवादित आराजी ख0नं0 1372/0–19, 1373/0–03, 1408, 1409/1–08 बांके ग्राम उमरेह तह0 बाडी जिला धौलपुर में स्थित है। मद सं0 2 मे सिजरा फरीकेन प्रस्तुत किया। विवादित आराजी के 1/3 भाग के पूर्व खातेदार काश्तकार वादीया का ससुर कलाकन्द पुत्र श्यामा थ। वादीया का ससुर वादीया के साथ रहता था। वादीया ही विवादित आराजी की अपने ससुर के जीवनकाल से ही देखभाल करती थी। वादीया ही अपने ससुर की हारी बीमारी में इलाज कराती थी व खाने पाने की व्यवस्था तथा सेवा चाकरी करती थी। वादी की सेवा से प्रसन्न होकर वादीया के ससुर ने वादीया के पक्ष में विवादित आराजी में प्राप्त अपने 1/3 हिस्से की वसीयत गवाहान के समक्ष दिनांक 12.07.2001 को कर दी थी तथा अपना निशानी अंगूठा लगाया था। वादीया के ससुर कलाकंद की मृत्यु दिनांक 15.07.2001 को हो गई और कलाकंद की मृत्यु के बाद वादीया विवादित आराजी के 1/3 हिस्से पर काबिज रहकर काश्त करती चली आ रही

उपखण्डाधिकारी
बाडी (धौलपुर)

Scanned by CamScanner

है। वादीया ने अपने ससुर की मृत्यु के बाद वसीयत की फोटोप्रति विवादित आराजी के दाखिला खारिज हेतु पटवारी हल्का को दे दी तथा पटवारी हल्का ने वादीया को आश्वस्त कर दिया कि मैं वसीयत के आधार पर तेरे नाम विवादित आराजी का दाखिला खारिज खोल दूंगा। दिनांक 01.11.2016 को जब वादीया विवादित आराजी की देखभाल कर रही थी तो प्रति0 वादीया के पास आये और वादीया को धमकी दी कि हम तुझे विवादित आराजी में काश्त नहीं करने देंगे। तुझे विवादित आराजी से बेदखल करके छोडेंगे। हम कलाकंद की जगह अपने नाम का विरासत का दाखिला खारिज खुलवायेंगे। प्रति0 की धमकी से भयभीत होकर जब वादीया ने राजस्व रिकार्ड की जानकारी की तो वादीया को पता चला कि पटवारी हल्का ने वादीया की वसीयत के आधार पर वादीया के नाम राजस्व रिकार्ड में दाखिला खारिज नहीं खोला है। अभी तक विवादित आराजी का खाता वादीया के ससुर कलाकन्द के नाम चल रहा है। वादीया तो इसी विश्वास में भी कि पटवारी हल्का ने वसीयत के आधार पर वादीया के नाम का दाखिला खारिज कर दिया होगा। जब वादीया वर्तमान पटवारी हल्का से अपनी असल वसीसतनामा को लेकर दाखिला खारिज हेतु मिली तो वर्तमान पटवारी हल्का ने वसीयत के आधार पर दाखिला खारिज करने से मना कर दिया। उवरोक्त हालातों में वादीया के लिए आवश्यक हो गया है कि वह दावा दायर कर अपने अधिकारों की घोषणा करावे तथा प्रति0 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द करावे।

इस प्रकार दावा प्रस्तुत कर वादीया ने निवेदन किया कि :—

यह घोषित किया जावे कि वादीया विवादित आराजीयात में मृतक कलाकन्द के 1/3 हिस्से की खातेदार काश्तकार है। प्रति0 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जावे कि वादीया के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत बेजा नहीं करें। राजस्व रिकार्ड में आवश्यक दुरूस्ती की जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रति0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। समस्त प्रति0 वावजूद सूचना न्यायालय में अनुपस्थित आये। अतः उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादीया ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में Ex P1 असल वसीयतनामा, Ex P2 नकल जमाबन्दी सं0 2070–73, Ex P3 असल मृत्यु प्रमाण पत्र पेश की तथा मौखिक साक्ष्य में Pw 1 लखनबाई, Pw 2 गंगाप्रसाद, Pw 3 देवीचरन के बयान कराये।

तत्पश्चात बहस एक पक्षीय वकील वादीया सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात व मौखिक साक्ष्य का अवलोकन किया गया। वादीया द्वारा प्रस्तुत Ex P1 असल वसीयतनामा में कलाकन्द द्वारा वादीया लखनबाई के नाम उसके 1/3 हिस्से का वसीयतनामा किया है। वसीयत नामा पर अंकित गवाह गंगाप्रसाद जो Pw 2 है ने भी इस बात की पुष्टि की है कि कलाकन्द द्वारा वादीया के हक में अपने हिस्से की वसीयत की गई है तथा वसीयतनामा पर हो रहे अपने हस्ताक्षर को स्वीकार किया है। साथ ही दावे में बनाये प्रति0 में से प्रति0 सं0 6 देवीचरन ने भी वादीया की तरफ से मौखिक साक्ष्य कराई है। जिसमें उसने कलाकन्द द्वारा वादीया के हक में वसीयत किया जाना स्वीकार किया है तथा वादीया का दावा डिक्री किये जाने में कोई आपत्ति न होना जाहिर किया है। इसके अलावा प्रति0 का वावजूद सूचना न्यायालय में उपस्थित न आना इस बात की तस्दीक करता है कि उनको वादीया का दावा डिक्री किये जाने कोई आपत्ति नहीं है। अगर प्रति0 को कोई आपत्ति होती तो वे न्यायालय में उपस्थित आकर वाराजोई अवश्य

उपखण्डाधिकारी
बारी (धौलपुर) राज.

Scanned by CamScanner

करते। इस प्रकार वादीया का दावा सिद्ध होता है। ऐसी स्थिति में वादीया का दावा स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः दावा वादीया डिक्री किया जाकर विवादित आराजी ख0नं0 1372/0–19, 1373/0–03, 1408, 1409/1–08 बांके ग्राम उमरेह तह0 बाडी जिला धौलपुर में वादीया को कलाकन्द के स्थान पर 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। राजस्व रिकार्ड में कलाकन्द के स्थान पर वादीया के नाम का अंकन किया जावे। प्रति0 को स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता कि वे वादीया के कब्जे काश्त की आराजी में दखलन्दाजी न करें। निर्णय के अनुसार डिक्री जारी की जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बाडी

उपखण्ड अधिकारी
बाड़ी (धौलपुर) राज

Scanned by CamScanner